

राजस्थान सरकार
 न्यायलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)
 कैम्प कोर्ट का स्थान.....रूपारखेड़ा..... दिनांक :- 17/05/2023

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रूपारखेड़ा व
 भू-अभिलेख निरीक्षक द्विधाणा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पायाव्या तहसील कपासन जिला
 चित्तौड़गढ़ की जमावन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमावन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 57
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद
 के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पायाव्या	57	कन्हारी पुत्री मोहन्या ५५ होली सा. देह खण्देदार	कन्हारी पुत्री मोहन ५५ होली सा. देह खण्देदार

([Signature])
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
 दिनांक :- 17/05/2023

क्रमांक / 63

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार,को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली।

को सूचनाार्थ।
 ([Signature])
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़